पर्यावरण को बचा कर रखने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका

विजय प्रकाश श्रीवास्तव*

पर्यावरण को लेकर दुनिया आज जितनी गंभीर है उतनी पहले कभी नहीं थी। सच कहा जाए तो यह गंभीरता वर्षों पहले से दिखाई जानी चाहिए थी। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध एवं अविवेकपूर्ण उपयोग एवं दोहन के दुष्परिणाम हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। एक तरफ धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ अनेक रूपों में प्रदूषण विभिन्न प्रकार की समस्याएँ खड़ी कर रहा है। हमसे पहले की पीढ़ियों ने पर्यावरण को संभाल कर रखा तभी हम आज इसमें सांस ले पा रहे हैं। हमारा भी नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण सौंपें। लेकिन इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं।

नवंबर 2023 के शुरू में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी इमिशन गैप रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 का वर्ष अब तक का सब से गरम वर्ष है। रिपोर्ट में इस डर को सही बताया गया है कि हाल में देखी गई कई प्राकृतिक आपदाएं तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का ही दुष्परिणाम हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। सितंबर 2023 में वैश्विक औसत तापमान औद्योगिकीकरण पूर्व के युग की तुलना में 1.8 डिग्री सेल्शियस ऊपर दर्ज किया गया है। ये सब अच्छे संकेत नहीं हैं। पर्यावरण का हरा-भरा और स्वस्थ स्वरूप बनाए रखने के प्रति यदि दुनिया बेपरवाह बनी रहती है तो इसके निवासियों को ही इसका परिणाम भुगतना होगा एवं आने वाले समय में दुष्परिणाम और अधिक घातक होंगे।

पर्यावरण अपने स्वाभाविक रूप में बना रहे, प्रदूषण कम से कम फैले, इसे सुनिश्चित करने हेतु व्यैक्तिक एवं सांगठनिक दोनों स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता होगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, इसके प्रति उन्हें बार-बार आगाह किया जाता रहा है। हम यहाँ अपनी चर्चा पर्यावरण को बचा कर रखने में संगठनों, विशेषकर बैंकों द्वारा किए जा सकने वाले योगदान तक सीमित रखेंगे।

हमारे देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों का आकार बढ़ता जा रहा है। यह वृद्धि विकास से भी जुड़ी हुई है। कॉर्पोरेट जगत में लघु, मध्यम तथा विशाल सभी आकारों के निकाय होते हैं। इन निकायों का प्रदर्शन बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। सफलता का पायदान चढ़ते हुए कई लघु निकाय, मध्यम आकार के निकाय की अत्यन्त विशाल निकायों का रूप लेते देखे गए हैं। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि अपने परिचालनों के लिए इन निकायों को ज्यादा जगह तथा अधिक संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है। पर्यावरण इस परिणाम से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि विशाल निकायें, अधिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का उदाहरण लें, राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों की गिनी-चुनी शाखाएँ हुआ करती थीं। आज बैंकों तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मौजूदगी शहरों, कस्बों, गांवों हर जगह पर है। बैंकों में सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि भी शामिल हैं। यदि इनमें से प्रत्येक के द्वारा ऊर्जा की बचत, अपशिष्ट पदार्थों के समुचित निस्तारण तथा प्रदूषण नियंत्रण पर समुचित ध्यान दिया जाए तो इसके अनुकूल संचयी

*सेवानिवृत्त मुख्य प्रबन्धक एवं संकाय सदस्य, बैंक ऑफ इंडिया।

प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। शाखाओं तथा कार्यालयों में कई बार जगह पर किसी के मौजूद न होने पर भी बिजली जलती रहती है, एयर कंडीशनर चलता रहता है। यदि ऊर्जा का अनावश्यक व्यय रोका जाए तो व्यय में कमी आएगी तथा पर्यावरण को भी लाभ होगा। बैंक दूसरे प्रकार से भी योगदान कर सकते हैं जिसका दायरा अत्यधिक व्यापक है जैसे कि अपने कार्यालयों तथा शाखाओं में सौर ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा दक्ष भवनों का उपयोग, कागज का न्यूनतम इस्तेमाल, पत्राचार एवं संप्रेषण हेतु डिजिटल माध्यमों का उपयोग, स्थानीय तथा रिसाइकल्ड उत्पादों का क्रय, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का समुचित निस्तारण आदि।

पर्यावरण को लेकर चिंताएँ और बैंक

आज बैंक विविध प्रकार के कार्यकलापों में संलग्न हैं, परंतु उनका मुख्य कार्य एकत्र की गई जमाराशियों का एक बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में प्रदान करना है। बैंकों की आय का एक बड़ा हिस्सा इन ऋणों पर अर्जित ब्याज से ही आता है। ऋण वितरण के मामले में अब बैंकों को काफी स्वतन्त्रता है फिर भी उन्हें इस संबंध में वित्त मंत्रालय तथा केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। बैंकों की ऋण नीति बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर बनाई जाती है जिनमें जोखिम प्रबंधन मुख्य रूप से शामिल है। बैंकों द्वारा सभी ऋणों के संबंध में आसन्न जोखिम का आकलन किया जाता है, पर उन्हें इन ऋणों से बाहरी जगत पर पड़ने वाले जोखिमपूर्ण प्रभावों पर भी विचार करना होता है। बाहरी होते हुए भी ये जोखिम बैंकों के ऋण पोर्टफोलिओ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

पर्यावरण जोखिम पहले भी थे तथापि बैंकों ने इनका संज्ञान लेना विगत कुछ वर्षों से शुरू किया है। इसके पीछे अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताएँ हैं। पेरिस क्लाइमेट संधि 2015 में अंगीकार की गई थी और इस पर 195 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रति वर्ष जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित करता है। 2023 में दुबई में आयोजित इस सम्मेलन में भारत का मजबूत प्रतिनिधित्व रहा तथा इसने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दुहराया। थोड़े समय पहले आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों पर विशद चर्चा की गई तथा सदस्य देशों द्वारा उनके दायित्वों को पूरा करने पर बल दिया गया। पर्यावरण को सुरक्षित बनाये रखने हेतु सामाजिक चेतना तो जरूरी है ही, संस्थागत वित्त में भी इसका ध्यान रखना जरूरी है। बैंकों की भूमिका को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

पर्यावरण अनुकूल वित्तपोषण

केंद्रीय बैंकों का मुख्य सरोकार मौद्रिक नीति, आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता तथा वित्तीय प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण से हुआ करता है। विभिन्न देशों जिनमें भारत भी शामिल है, में इन बैंकों को अधिदेश होता है कि उनके उक्त मूलभूत ध्येय को प्रभावित करने वाले जोखिमों का सामना करने हेतु वे समुचित रणनीति तैयार करें। केंद्रीय बैंक पर्यावरण जोखिम को अब एक ऐसे ही जोखिम के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन आम जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि जलवायु परिवर्तन का असर जन-जीवन पर पड़ता है, तो बैंक भी इससे अछूते नहीं रह सकते। जलवायु परिवर्तन के कारण दावानल, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाएँ बैंकों के संचालन में बाधाएँ खड़ी कर सकती हैं। यदि इन घटनाओं के चलते उत्पादन रुक जाता है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और उपभोग्य वस्तुओं की कमी होती है, तो भी बैंक प्रभावित होते हैं। महंगाई बढ़े या मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंक की नज़र इन सब पर होती है। वैश्वीकरण के इस दौर में, प्राकृतिक आपदाओं का असर भले ही क्षेत्र विशेष में हो, इनकी आहट दूर तक महसूस की जा सकती है। मसलन, यदि एक बैंक ने किसी देश में निर्यात हेतु स्थानीय निर्यातक को ऋण दिया हो और उस देश में कोई बड़ी प्राकृतिक विपदा आ जाए, तो इससे ऋण की वसूली में मुश्किलें आ सकती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन किसी देश या क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है। अत: जलवायु परिवर्तन जनित समस्याओं

से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य माना जा रहा है। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच भी इस संबंध में तालमेल देखने को मिल रहा है।

मोटे तौर पर पर्यावरण अनुकूल वित्तपोषण (Climate-friendly financing) जलवायु परिवर्तन जनित समस्याओं का सामना करने अथवा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को दूर या न्यून करने हेतु किया गया वित्तपोषण है। इसमें वे वित्तपोषण भी शामिल हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता अर्थात् सस्टेनेबिलिटी को समर्पित हों।

औद्योगिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा बढ़ते औद्योगिकीकरण को विकास का परिचायक माना जाता है। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का एक बड़ा हिस्सा उद्योगों के लिए होता है। उद्योग, खास तौर से बड़े उद्योग, अनेक नियमों एवं क़ानूनों के दायरे में आते हैं जिनमें से कुछ का संबंध पर्यावरण से भी होता है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस औद्योगिक परियोजना के लिए वे ऋण दे रहे हों, वह पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन न करती हो तथा इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बैंकों की वरीयता ऐसे उद्योगों को ऋण देने की होनी चाहिए जिनमें शून्य या न्यून कार्बन उत्सर्जन होता हो, जो प्रदूषण न फैलाते हों तथा जिनमें अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की गई हो।

विश्व में ऊर्जा की खपत में निरंतर इजाफा हो रहा है, इसलिए ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है। आज ज़ोर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की बजाय इसके वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर है जो किफ़ायती तथा नवीकरणीय हों तथा जिनके उपयोग से प्रदूषण बिल्कुल नहीं या न के बराबर हो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो फ्यूल इसी तरह के स्रोत हैं। हमारी सरकार वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन में निवेश को बढ़ावा दे रही है तथा इस हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन तथा रियायतें उपलब्ध हैं। विगत वर्षों में हमारे रिज़र्व बैंक ने पर्यावरण अनुकूल वित्त को समर्थन तथा प्रोत्साहन देने हेतु नीतिगत उपाय किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं को बैंकों द्वारा किया गया वित्तपोषण उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण में गिना जाता है। इस श्रेणी में बैंक उत्तम एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को वित्तपोषित कर अपने लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।

एक श्रेणी ऐसे उद्योगों की है जो प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट निस्तारण आदि के समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये समाधान यांत्रिक तथा अन्य रूपों में हो सकते हैं। शहरीकरण तथा औद्योगीकरण का विस्तार होने के साथ इन समाधानों की मांग बढ़ेगी। बैंक इस श्रेणी के उद्योगों को वित्तपोषित कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं।

बैंकों द्वारा तैयारी

पर्यावरण अनुकूल वित्तपोषण के मामले में बैंक एक प्रकार से अभी शुरुआती दौर में हैं तथा आगे उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। प्राकृतिक आपदाओं तथा उनकी भयावहता का पूर्वानुमान लगाना कई बार मुश्किल होता है और यह बैंकों का कार्यक्षेत्र भी नहीं है। फिर भी पर्यावरण के प्रति अपने कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए बैंकों द्वारा कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके साथ बैंकों के पास ऐसे विशेषज्ञ भी होने चाहिए जिन्हें जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसलों की समझ हो और इससे जुड़ी प्रवृत्तियों पर जिनके द्वारा नज़र रखी जाती हो। उनका कार्य अन्य संबन्धित जानकारी एकत्र करना भी होना चाहिए जो बैंक में विभिन्न स्तरों पर तथा इसके शीर्ष प्रबंधन हेतु उपयोगी हो। ये विशेषज्ञ, किसी नये ऋण प्रस्ताव की स्वीकृति से पहले उस परियोजना प्रस्ताव मे निहित पर्यावरण प्रतिकूल आशंकाओ एवं दुष्परिणामों पर अपना विशिष्ट मत दे सके।

यदि पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा ऐसी परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु बैंकों से ऋणों की मांग के प्रस्ताव अधिक संख्या में आएंगे। ऐसे प्रस्तावों के आकलन/मूल्यांकन हेतु अपनी जनशक्ति में विशेषज्ञता निर्मित करना भी आवश्यक है जिसमें प्रशिक्षण

अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकता है। पर्यावरण अनुकूल निवेश के प्रबंधन में भी बैंकों के लिए अच्छे अवसर हैं।

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा प्रकाशित ''जलवायु परिवर्तन जनित जोखिमों के समाधान हेतु उपाय (रोडमैप फॉर एड्रेसिंग फाइनेंशियल रिस्क्स फ्राम क्लाइमेट चेंज)'' के लिए जी20 ने अपना समर्थन दिया है। दुनिया भर के बैंक इन उपायों को अपना रहे हैं।

दुनिया के कई बड़े बैंकों ने अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अथवा कार्बन की अधिक मात्रा उत्सर्जित करने वाली परियोजनाओं में अपना एक्सपोजर कम करना या पूर्णत: हटाने की नीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इससे अन्य बैंकों द्वारा भी इसका अनुसरण किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है।

वित्त वर्ष 2023-24 हेतु हमारे देश के बजट में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकास पर ज़ोर दिया गया है। पर्यावरण अनुकूल वित्तपोषण अब निश्चित रूप से भारत के बैंकों की प्राथमिकताओं में शामिल है। एक तरफ बैंक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस हेतु मॉडल तैयार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वित्तीय उद्योग हेतु जलवायु जोखिम के समाधान हेतु अन्य पक्षों द्वारा भी समाधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन समाधानों की उपयोगिता का आकलन बैंकों द्वारा ही किया जाना होगा।

ईएसजी (ESG) और बैंक

कॉर्पोरेट जगत में ईएसजी आज एक चर्चित पद है जिसका अर्थ है - एनवायरोन्मेंट (पर्यावरण), सस्टेनेबिलिटी (संधारणीयता) तथा गवर्नेंस (अभिशासन)। ईएसजी का सर्वप्रथम ज़िक्र संयुक्त राष्ट्र संघ की 2006 में प्रकाशित 'प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पोंसिबल इनवेस्टमेंट' पर रिपोर्ट में आया था। इस रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई थी कि कंपनियों के वित्तीय मूल्यांकन में ईएसजी मानकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईएसजी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम तथा इन्टरनेशनल बिजनेस काउंसिल ने विश्व की चार प्रमुख लेखांकन परामर्शदात्री कंपनियों के साथ मिल कर 22 खास मेट्रिक्स का एक ढांचा तैयार किया था जो कंपनियों द्वारा अपने प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए था। अपने परिवर्धित रूप में यह ढांचा अब 34 मेट्रिक्स का है जो संधारणीय विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की 2030 की कार्यसूची के अनुरूप हैं। मेट्रिक्स अभिशासन के सिद्धांतों, पृथ्वी की रक्षा, लोगों के हित तथा समृद्धि पर केंद्रित हैं। कंपनियाँ अपनी व्यवसाय प्रथाओं में पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति उनके उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को रिपोर्ट करें, इस उद्देश्य से स्थापित ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने वर्ष 2009 से ईएसजी रिपोर्टिंग का कार्यान्वयन शुरू किया जो अब ज़ोर पकड़ चुका है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल में विभिन्न मोर्चों पर भारत आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश का कॉर्पोरेट जगत जिसमें बैंकिंग उद्योग भी शामिल है, ईएसजी को अपनाने के प्रति तत्पर है। ईएसजी के तहत बैंकों के दायित्वों को मोटे तौर पर निम्न चार श्रेणियों में रखा जा सकता है:

- उत्सर्जन घटाने, प्रदूषण कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने, स्वच्छ व पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने, आदि की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु लक्ष्य निर्धारण तथा अवसरों की तलाश।
- कार्यस्थल पर पर्यावरण अनुकुल एवं स्वस्थ वातावरण हेतु नीतियाँ बनाना जिनमें आचरण संहिता के पालन, मानवाधिकारों की रक्षा, पणधारकों को जोड़ने तथा कॉर्पोरेट अभिशासन की रणनीतियों आदि को शामिल किया गया हो।
- बैंक के परिचालनों तथा पोर्टफोलियो के पर्यावरणीय प्रभावों तथा इससे संबन्धित जोखिमों का आकलन कर इनके न्यूनीकरण हेतु उपाय करना।
- विनियमों के तहत ईएसजी प्रकटन तथा रिपोर्टिंग की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करना।

बाज़ार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ईएसजी प्रकटन को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंकों में ऋण रेटिंग हेतु विविध प्रावधान

लागू किए गए हैं। इस रेटिंग में यथा लागू ईएसजी रेटिंग को भी शामिल किया जाना है। सेबी के मास्टर परिपत्र में ईएसजी रेटिंग के सेवा प्रदाताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं।

बैंकों को चाहिए कि वे ईएसजी मानदंडों को केवल अनुपालन की औपचारिकता के दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि इसे अपनी नीतियों के मूल तत्वों में शामिल करें। बैंकों के निदेशक मण्डल को इसमें सक्रिय योगदान करना होगा।

बैंकों की बढ़ती ज़िम्मेदारी

पर्यावरण पर वित्त के प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। वित्त का विनियोजन करने में अनेक सावधानियाँ बरतनी होती हैं। इन सावधानियों में अब यह भी शामिल है कि इस विनियोजन से पर्यावरण को कोई परोक्ष या प्रत्यक्ष क्षति न हो। चूंकि वित्तीय लेन देन मुख्यत: बैंकों के माध्यम से होते हैं तथा वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बैंक ही हैं, पर्यावरण को बचाने में बैंकों की भूमिका के महत्त्व को आसानी से समझा जा सकता है। विश्व बैंक की एक घोषणा में कहा गया है कि इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक अपने कुल वित्तपोषण का 45 प्रतिशत पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं को देना है। वित्तीय बाज़ार में ग्रीन बांडों, संधारणीयता संबद्ध ऋणों आदि का चलन बढ़ रहा है। कुल मिला कर कहा जाए तो अब वित्तीय तंत्र का काफी ध्यान पर्यावरणीय परिवर्तनों तथा इसकी आवश्यकताओं पर है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह बढ़त बहुत सारे अवसरों के साथ है, पर इसमें पर्यावरण के लिए खतरे भी मौजूद हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने तथा आगे बढ़ाने में बैंकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारी अर्थव्यवस्था का विकास समावेशी हो, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो एवं दुरुपयोग न हो तथा यह पर्यावरणीय हितों की उपेक्षा न करे; इसका ध्यान बैंकों को भी रखना होगा एवं इस दिशा में सभी बैंकों को सतत् प्रयास करते रहना होगा ताकि इसके द्वारा सभी निष्पादित ऋण प्रस्ताव पर्यावरण अनुकूल हों एवं प्रदूषण को निम्नतर करने में सहायक हों।

Bank Quest Articles - Honorarium for the Contributors

Contribution	Amount
Article / Research Paper	₹ 7,500/-
Book Review	₹ 3,000/-
Legal Decisions affecting Bankers	₹ 3,000/-